143

समक्ष न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

R 4020 - PBR/16

राजस्व रिवीजन क्रमांक /2016

दिनेश पिता मांगीलाल राठौर आयु 46 वर्ष
निवासी–दामजीपुरा तहसील भैसदेही,
जिला–बैतूल ....रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

मांगीलाल पिता मोतीलाल राठौर आयु 72 वर्ष
निवासी–दामजीपुरा तहसील भैसदेही जिला–बैतूल ....रेस्पाडेंट

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

विद्वान न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, भैसदेही जिला बैतूल राजस्व अपील प्रकरण क.40/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2016 जिसके द्वारा उन्होंने रेस्पाडेंट का आवेदन अन्तर्गत धारा 5 समयावधि विधान स्वीकार किया जिससे व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यों एवं ठोस वैधानिक आधारों पर रिवीजन अविलंब सादर समयावधि में सादर पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त सुसंगत तथ्य

01. यह कि रेस्पाडेंट ने संशोधन कमांक 5 प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 27.12.1982 दर्ज दिनांक 27.11.1982 मौजा बिच्छू टेकरी रा.नि.भीमपुर तहसील भैसदेही जिला बैतूल के विरूद्ध 34 वर्षो की विशाल समयावधि के पश्चात् प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 27.05.2016 को प्रस्तुत की अपील के साथ धारा 5 समयावधि विधान का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका रिवीजनकर्ता द्वारा घोर विरोध किये जाने के बावजूद भी उन्होंने समस्त वास्तविक परिस्थितियों एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन, परिशीलन, विवेचन, विश्लेषण किये बगैर वैधानिक प्रावधानों को बला–ए–ताक पर रखकर एकांगी मानसिकता एवं एकपक्षीय दृष्टिकोण से प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश द्वारा रेस्पाडेंट का आवेदन धारा 5 समयावधि विधान स्वीकार किया । जिससे परिवेदित एवं असंतुष्ट होकर निम्नांकित मुख्यतः सारभूत आधरों पर रिवीजन पेश है ।

R-4020-PBR/16

30.11.2016	आवेदक की ओर से श्री यशवंत साहू अभिभावक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.10.2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवांछित विषयों की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये अवांछित विषयों की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बोलता हुआ आदेश पारित करें।
	अध्यक्ष